अनुदान संख्या 82 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 82 – DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	146909,72,00	149209,75,00	106841,29,00	-42368,46,00
पूरक	Supplementary	2300,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				42342,10,80

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹4236846.00 लाख) अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹230003.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹4236846.00 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹230003.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and constituted 28 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	1744400.00	987206.09	987206.45	+0.36
पु.	R.	-757193.91			
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	262160.00			
पू.	S.	1.00	239438.88	239160.84	-278.04
पु.	R.	-22722.12			
मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment				
मू.	O.	9876800.00	6626163.92	6625950.14	-213.78
पु.	R.	-3250636.08			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण	Other Rural				
विकास कार्यक्रम	Development Programmes				
मू.	O.	107603.00			
पू.	S.	230002.00	344194.93	342068.64	-2126.29
पु.	R.	6589.93			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर -पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	318890.00			
			..	..	..
पु.	R.	- 318890.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क और सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	2376710.00			
			2487356.58	2487355.53	-1.05
पु.	R.	110646.58			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	State Governments				
मू.	O.	1999.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1999.00			

(I) ₹1175693.50 लाख का प्रावधान बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1175689.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹1175693.50 lakhs remained wholly unutilised under twenty two heads; of these ₹1175689.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" - "ग्रामीण आवास - आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" - ₹844800.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों में विनिवेश प्राप्ति के अनुमानित संग्रहण में संशोधन किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2515" - "सार्वजनिक सहयोग - लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान" - ₹10000.00 लाख लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद की पुनर्संरचना की वजह से नई परियोजनाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना"-

(i) "महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना" - ₹ 2000.00 लाख पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹8477.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन" - ₹4143.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹ 8479.60 लाख;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" - ₹6140.40 लाख;

(घ) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" - ₹1050.00 लाख।

(ङ) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/अन्य अभिकरणों को सहायता" - ₹ 4710.00 लाख;

(च) "जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यकारी अभिकरणों

(A) Major Head "2216" - "Rural Housing - Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment Fund" - ₹844800.00 lakhs - due to revision in the estimated collection of disinvestment receipts in revised estimates by the Ministry of Finance.

(B) Major Head "2515" – "Public Co-operation - Grants to Council for Advancement of People's Action and Rural Technology"- ₹10000.00 lakhs - due to non-sanctioning of new projects owing to re-structuring of Council for Advancement of People's Action and Rural Technology.

(C) Major Head "2552" -

(a) "Self Employment Programme – Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"-

(i) "Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana"- ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from North Eastern States.

(ii) "Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"- ₹8477.00 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission" – ₹ 4143.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana" – ₹8479.60 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana" – ₹6140.40 lakhs;

(d) "Other Rural Development Programme-Training – Grants to National Institute of Rural Development" – ₹1050.00 lakhs;

(e) "Other Rural Development Programme - DRDA Administration - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies"- ₹4710.00 lakhs;

(f) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District

आदि को सहायता'' - ₹178290.00 लाख;

(छ) ''ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना - इंदिरा आवास योजना'' - ₹35400.00 लाख;

(ज) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - इंदिरा आवास योजना'' - ₹20000.00 लाख;

(झ) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना - इंदिरा आवास योजना'' - ₹45000.00 लाख;

(ञ) ''अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय'' -

(i) ''ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण'' - ₹1200.00 लाख; और

(ii) ''बी पी एल सर्वेक्षण'' - ₹3000.00 लाख।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं के लिए प्रावधान'' - ₹1000.00 लाख पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य अनुदान - बीपीएल सर्वेक्षण'' - ₹1999.00 लाख राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''स्वरोजगार कार्यक्रम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' -

Rural Development Agencies/Other Executing Agencies etc."- ₹178290.00 lakhs;

(g) "Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana"- ₹35400.00 lakhs;

(h) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indira Awaas Yojana"- ₹20000.00 lakhs;

(i) "Tribal Area Sub-Plan - Indira Awaas Yojana" - ₹45000.00 lakhs;

(j) "Other Rural Development Programmes - Other Expenditure" -

(i) "Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening district Planning Process" – ₹1200.00 lakhs; and

(ii) "BPL Survey" – ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Provision for Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" – ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from North Eastern States.

(D) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Other Rural Development Programmes – Other Grants – BPL Survey" – ₹1999.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(II) Under Major Head "2501" - "Self Employment Programme" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana" -

(क) ''महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना'' - ₹10457.00 लाख की बचत (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा दावों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana"- saving of ₹10457.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to non-submission of claims by Project Implementing Agencies.

(ख) ''राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन'' - ₹29217.27 लाख की बचत (₹50933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक कार्रवाई योजना प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Rural Livelihood Mission" – saving of ₹29217.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50933.00 lakhs) was due to non-submission of Annual Action Plan by some State Governments.

(खा) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' - ₹4663.05 लाख की बचत (₹76026.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana" – saving of ₹4663.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹76026.40 lakhs); and

(गा) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' - ₹1427.23 लाख की बचत (₹55053.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana" – saving of ₹1427.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55053.60 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष ''2505'' - ''ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2505"-"Rural Employment Guarantee Scheme"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम'' -

(A) "National Rural Employment Guarantee Scheme"-

(क) ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यों को सहायता'' - ₹1078430.56 लाख की बचत (₹3997407.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and others"- saving of ₹1078430.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3997407.50 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years and non-receipt of adequate number of proposals from the State Governments.

(ख) ''क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता'' - ₹228.62 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Capacity Building and Technical Support"- saving of ₹228.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the State Governments.

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण"

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण" - ₹ 1078494.54 लाख की बचत (₹4000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को कम निधियों के जारी होने के कारण हुई, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि और में निधियों का कम अंतरण हुआ।

(ख) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" - ₹1093647.00 लाख की बचत (₹1876800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों में विनिवेश प्राप्तियों के अनुमानित संग्रहणों में संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2515" - "प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" के अंतर्गत ₹1237.00 लाख की बचत (₹ 1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11274.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली, पटना और जयपुर स्थित नए केन्द्रों के सर्जन के लिए प्रस्तावों को अनापत्ति न मिलने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सहायता" - ₹300.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य - आरक्षित निधि को अंतरण - केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण" - ₹1875.00 लाख की बचत (₹555000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमानों में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल से उपकर प्राप्तियों के अनुमानित संग्रहण में वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹89.51 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थी।

(B) "Transfer to Reserve Fund"-

(a) "Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" - saving of ₹1078494.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000000.00 lakhs) was due to release of less funds to the State Governments under National Rural Employment Guarantee Scheme resulting in less transfer of funds to National Rural Employment Guarantee Fund.

(b) "Transfer to National Investment Fund" - saving of ₹1093647.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1876800.00 lakhs) was due to revision in the estimated collection of disinvestment receipts in revised estimates by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "2515" - "Training - Grants to National Institute of Rural Development" - saving of ₹1237.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11274.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non- clearance of proposals for creation of new centres at Delhi, Patna and Jaipur.

(V) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to National Rural Roads Development Agency" – saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the State Governments.

(B) "General - Transfer to Reserve Fund – Transfer to Central Roads Fund" – saving of ₹1875.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹555000.00 lakhs) was due to revision in the estimated collection of cess receipts from Motor Sprit (MS) and High Speed Diesel (HSD) under Central Roads Fund in revised estimates by the Ministry of Finance.

(VI) Under one head saving of ₹89.51 lakhs occurred constituting 45 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹36532.45 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - स्वरोजगार कार्यक्रम" -

(क) "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - कार्यक्रम घटक" - ₹20173.45 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20015.39 लाख था।

(ख) "अन्य व्यय - जम्मू और कश्मीर के लिए कौशल सशक्तीकरण रोजगार स्कीम" - ₹2749.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "2515" - "जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को अनुदान" - ₹13610.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13608.99 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" - "ग्रामीण आवास" -

(क) "इंदिरा आवास योजना - इंदिरा आवास योजना - कार्यक्रम घटक" - ₹22620.00 लाख का अधिक व्यय (₹364600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - इंदिरा आवास योजना" - ₹19992.40 लाख का अधिक व्यय (₹333000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - इन्दिरा आवास योजना" - ₹44994.05 लाख का अधिक व्यय (₹202000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय" -

(क) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण" - ₹1171.54 लाख का

2.(I) The above savings were partly (₹36532.45 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "2501"- "Self Employment Programme" -

(a) "Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana - Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana - Programme Component"- ₹20173.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹20015.39 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Skill Empowerment Employment Scheme for Jammu and Kashmir" - ₹2749.00 lakhs.

(B) Major Head "2515" - "DRDA Administration - Grants to District Rural Development Agencies/Other Agencies"- ₹13610.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13608.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2216"-"Rural Housing" –

(a) "Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana - Programme Component" - excess of ₹22620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹364600.00 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Indira Awaas Yojana" - excess of ₹19992.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹333000.00 lakhs);

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Indira Awaas Yojana" – excess of ₹44994.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹202000.00 lakhs);

(B) Major Head "2515" - "Other Expenditure"-

(a) "Management Support to Rural Development Programme and Strengthening district Planning

अधिक व्यय (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "बी पी एल सर्वेक्षण" - ₹937.14 लाख का अधिक व्यय (₹230000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹255000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला तथा अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता" -₹112809.58 लाख का अधिक व्यय (₹1247029.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. ***राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि :-***

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके जमा की जाती है।

वर्ष 2011-12 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था :-

Process" - excess of ₹1171.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs);

(b) "BPL Survey" – excess of ₹937.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹255000.00 lakhs including supplementary grant of ₹230000.00 lakhs); and

(C) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/ Other Executing Agencies etc."- excess of ₹112809.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1247029.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. ***National Rural Employment Guarantee Fund:-***

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

The Account of the Fund for 2011-12 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	Nil
प्राप्तियां	Receipts	29215,05,46
अदायगियां	Payments	29215,05,46
अंतशेष	Closing Balance	Nil